राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक–सीआरओ/राआम/2024–25/246 दिनांक :– 05/03/2025

परिपत्र

प्राय यह देखा गया है कि समय–समय पर ई–ऑक्शन नीलामी एवम् प्रिमियम प्रोपॅर्टी के बिड़ो का समयबद्व निस्तारण नही किया जा रहा है। इस वास्ते आवासन आयुक्त महोदया द्वारा मंगलवार मिटिंग क्रमांक 177 दिनांक 14.02.2025, 125 दिनांक 06.11.2024 एव् मु.अ. 1/2024–2025/01 दिनांक 25.10.2024 द्वारा सभी उप आवासन आयुक्त/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया था। इस संबंध में पुनः परिपत्र के द्वारा उक्त निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में वांछित कार्य करने वास्ते निर्देशित किया जाता है।

राजस्थान आवासन मण्डल में ई–ऑक्शन के माध्यम से नीलामी के द्वारा बेचान की गई सम्पत्ति 50 लाख से कम (एकल बोलीदाता) एवम् मुख्यालय स्तर पर भेजे जाने वाले प्रकरण 50 लाख से 5 करोड़ तक आवासन आयुक्त महोदय, 5 करोड़ से 20 करोड़ तक अध्यक्ष महोदय एवम् 20 करोड़ से अधिक संचालक मण्ड़ल की पत्रावलीयॉ नीलामी समिति की अनुशंषा पश्चात् मण्ड़ल मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में मय औचित्य के स्वीकृति हेतु 07 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवायी जाना सुनिश्चित करावें।

इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपने अधीन वृत्त कार्यालयों का निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित करगें। इस तरह के प्रस्तावों में विलम्ब होने पर संबंधित वृत्त स्तर के उप आवासन आयुक्त व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।

कार्यालय आदेश क्रमांक सीआरओ/2020–21/107 दिनांक 03.09.2020 की अनुपालना अक्षरशः सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–सचिव/मुख्यअभियन्ता–I/II/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।
2. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त——————, रा.आ.मं.,——————।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड——————रा.आ.मं.,——————।
8. लेखाधिकारी, वृत्त——————,रा.आ.मं.,——————।
9. कार्यालय आदेश/रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार